राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकः F 4 ( ) PRD / PC / RGSA / 2017–18 / 796 जयपुर, दिनांकः 30-6-2017

:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायत सशक्तिकरण अभियान (PSA) वार्षिक योजना 2017–18 के तहत प्रथम किस्त की राशि रूपये 1085.00 लाख (राशि रूपये 822.00 लाख पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के बचत बैंक खाते में सीधे ही जमा कराई गई है एवं राशि रूपये 263.00 लाख उपलब्ध अवशेष राशि) भारत सरकार की Central Executive Committee की द्वितीय बैठक दिनांक 25.05.2017 द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों को क्रियान्वित कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है–

S. No.	Component	Amount (Rs in Lacs)	Implementing Agency
1.	**Capacity Building and trainings**		
	(a) GPDP	482.58	IGPRS
	(b) Other than GPDP	203.90	IGPRS
2.	**Institutional Infrastructure**		
	(a) Construction (DPRC Building)	125.00	PRD
	(b) Recurring Cost of Infrastructure	20.00	IGPRS
3.	**E- enablement of Panchayats**		
	(a) Human Resource (SPMU & DPMU)	175.80	PRD
4.	**Innovation** (33 Model GPs one in each district)	16.50	IGPRS
	Total	**1023.78**	
5.	IEC (1% of Project Cost)	10.22	PRD
6.	PMU(5% of project Cost)	51.00	PRD
	G. Total	**1085.00**	

- उक्त स्वीकृति में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को स्वीकृत कुल राशि रूपये 722.98 लाख को उपयोग किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त स्वीकृत राशि में संस्थान के पास उपलब्ध अवशेष राशि रूपये 203.00 लाख सम्मिलित है।
- पंचायती राज मुख्यालय हेतु स्वीकृत राशि रूपये 362.02 लाख में मुख्यालय पर उपलब्ध अवशेष राशि रूपये 60.00 लाख को कम करते हुए शेष राशि रूपये 302.02 लाख कार्यालय अध्यक्ष, पंचायती राज विभाग के बचत बैंक खाता संख्या 61179878181 में हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण में सरकारी अधिकारियों की राजकार्य में व्यवस्तता के कारण उनके स्थान पर जनप्रतिनिधियों, रिटायर्ड अधिकारियों, गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) के प्रतिनिधि एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्राथमिकता देकर प्रशिक्षित करें, ताकि वह अपना सम्पूर्ण योगदान प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रदान कर सकें।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण के लिए पंचायत समिति स्तरीय क्षमतावर्द्धन व प्रशिक्षण को प्राथमिकता अनुसार सम्पादित करने हेतु संस्थान सर्वप्रथम सरपंच, ग्राम सचिव, वार्डपंच एवं कम्यूनिटी मोबिलाईजर का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करावें।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय शर्मा)
प्रभारी अधिकारी (पी.एस.ए.)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
6. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि भारत सरकार से पंचायत सशक्तिकरण अभियान वार्षिक योजना वर्ष 2017–18 के तहत प्राप्त प्रथम किस्त की राशि रूपये 822.00 में से स्वीकृति अनुसार राशि रूपये 302.02 लाख कार्यालय अध्यक्ष, पंचायती राज विभाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, जयपुर के बचत बैंक खाता संख्या 61179878181 में हस्तांतरित करने का श्रम करें।
7. प्रोफेसर अनिता, प्रभारी अधिकारी (पी.एस.ए.), इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित गतिविधियों को तत्काल पूर्ण करवाकर व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि भारत सरकार से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त की जा सके।
8. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त स्वीकृति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (पी.एस.ए.),
पंचायती राज विभाग